न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर जिला अजमेर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2013

उनवान

मीरा पत्नि उगमसिह जाति रावत निवासी ग्राम पालरा तहसील एवं जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. मोहन बूब पुत्र पुरूषोतमदास बूब जाति माहेश्वरी निवासी 33 अशोक मार्ग अजमेर
2. सूरज देवी पत्नि नवलकिषो भूतडा जाति माहेश्वरी निवासी 26/319 रामगंज अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक 06.11.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीयॉ की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.30 हैक्टर है जिसके खाता संख्या 453 है । प्रार्थीया उपरोक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्त होकर काबिज काश्त चली आ रही है तथा प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी में आने जाने में प्रार्थीया विपक्षीगण के खेत खसरा नम्बर 1185 रकबा 0.59 हैक्टर में से पिछले कई वर्षो से आती जाती रही है। प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थीगण विपक्षीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1185 रकबा 0.59 हैक्टर की सींव से स्वयं के खेत में आने जाने हेतु आज दिनांक तक रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है । विपक्षीगण का खेत प्रार्थीया के खेत से उत्तर दिशा में पडता है तथा विपक्षीगण के खेत से लगती हुई रीको की मुख्य सडक है तथा उक्त मुख्य सडक से प्रार्थी वाके खेत में आने जाने केवल एक मात्र रास्ता है जो कि अप्रार्थी के खेत में से होकर गुजरता है

Scanned by CamScanner

प्रार्थीयॉ द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग पिछले कई वर्षो से किया जाता रहा है परन्तु अप्रार्थीगण के मन में द्वेषता आ चुकी है जिस कारण से उनके द्वारा उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया से कम दामो में उसकी खातेदारी की आराजी का कय करना चाहते है इस कारण उनके द्वारा जानबूझकर प्रार्थीया के खेत में आवागमन का रास्ता बंद कर दिया गया है तथा उनके द्वारा प्रार्थीया का यह भी कहा कि तुम अपना खेत हमको बेच कर चले जाओ क्योंकि इस खेत का कोई रास्ता है ही नही। प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थीगण को बार बार निवेदन किया कि आप चाहे तो इस बाबत कुछ मुआवजा लेकर मुझको रास्ता प्रदान करे परन्तु प्रार्थीया की उक्त निवेदन को अप्रार्थीगण ने साफ तौर पर मना कर दिया एवं प्रार्थीया के आवागमन के रास्ते को बंद कर दिया । प्रार्थीया को उसके खेते में आने जाने हेतु रास्ता नही दिया गया तो प्रार्थीया के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा तथा प्रार्थीया की फसल इत्यादि नष्ट हो तायेगी जिससे गरीब प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्याकंन मुद्रा से नही किया जा सकेगा । प्रार्थीया के पास स्वयं के आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नही है जिसका उपयोग कर प्रार्थीया स्वयं के खातेदारी के खेत में आ जा सके और उक्त प्रार्थीया की आराजी पर प्रार्थीया का स्वयं का मकान बना हुआ है जिसमें प्रार्थीया रहवास करती है । प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 10.12.2013 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीया का रास्ता अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया गया जिस पर प्रार्थीया ने उक्त रास्ते को खोलने का निवेदन किया परन्तु उन्होने एलानिया तौर पर कह दिया कि हम कोई रास्ता नही खोलेगे तुमको जो करना हो वो कर लो । प्रार्थीया नियमानुसार अप्रार्थीगण को रास्ते के बदले अनुसार मुआवजा देने हेतु जो भी श्रीमान्के द्वारा आदेश पारित किया जावेगा तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया को उसकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1185 रकबा 0.39 हैक्टर में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत की सीव से रास्ता दिलाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या एक व दो दिनांक 08.1.2014 को नोटिस तामिल बावजूद गेर

Scanned by CamScanner

हाजिर होने से दिनांक 10.2.2014 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

राजकीय पेरोकार ने उपस्थित होकर तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत जवाब में अकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थीयॉ द्वारा समस्त खातेदारन का पक्षकार नही बनाया गया है, जिसमें से प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी का कथन है कि उसकी होल्डिग खसरा नम्बर 1186 में जाने के लिए 1185 से होकर मार्ग बनाना चाहता है तथा उसके आने जाने के लिए अन्य कोई वेकल्पिक मार्ग नही है इस कारण खसरा नम्बर 1185 में से मार्ग उपलब्ध कराया जावे तहसीलदार द्वारा दी गई रिपोर्ट दिनांक 05.06.2018 में तहसीलदार अजमेर द्वारा अंकित किया कि मौके पर वर्तमान में दीपक सिह पुत्र उगम सिह प्रार्थिया का पुत्र का हि रास्ते के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। जमाबंदी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा खाता नम्बर 536 के समस्त खातेदार को पक्षकार नही बनाया गया है दीपक सिह पुत्र उगम सिह को पक्षकार नही बनाया गया है ।

अतः परिणामातः उपरोक्त विवेचचन विषलेषण अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के सारहीन भारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)

आई.ए.एस

उपखण्ड अधिकारी

अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.11.13 11:19:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: